न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर,RAS

राजस्व वाद सं. 18/2017

वादीगण

1. पुसाराम पुत्र मोहनराम जाति गुर्जर उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम आनन्दपुरा
2. रूकमादेवी पत्नी मोहनराम जाति गुर्जर उम्र 65 वर्ष निवासी आनन्दपुरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पन्नाराम पुत्र मोटाराम जाति कुमावत
2. लिछमणराम पुत्र जमनाराम जाति कुमावत
3. हीराराम पुत्र टोडाराम फौत के कायम मुकाम :–
   3/1 केसरदेवी पत्नी हीराराम जाति कुमावत
4. मोहनराम पुत्र लादूराम जाति कुमावत निवासीयान ग्राम आसनपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लेण्ड होल्डर)

दावा :– बाबत अधिकारो की घोषणा अ. धारा 88 R.T.Act 1955
उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1से 4 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 18/04/2017

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम आसनपुरा पटवार हल्का उगरपुरा की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 223 रकबा 36 बीघा 8 बिस्वा एवं ग्राम आनन्दपुरा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 224 रकबा 129 बीघा 4 बिस्वा स्थित थी, जिसके द्वितीय भू–प्रबन्ध के दौरान खसरा नम्बर 223 के नवीन खसरा नम्बर 836 रकबा 2.97 हैक्टर खसरा नम्बर 861 रकबा 0.46 हैक्टर खसरा नम्बर 859 रकबा 1.39 हैक्टर खसरा नम्बर 860 रकबा 0.13 हैक्टर खसरा नम्बर 873 रकबा 0.88 हैक्टर व गत खसरा नम्बर 224 रकबा 129 बीघा 4 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 821 रकबा 4.60 हैक्टर खसरा नम्बर 822 रकबा 4.32 हैक्टर खसरा नम्बर 823 रकबा 1.69 हैक्टर खसरा नम्बर 866 रकबा 0.01 हैक्टर खसरा नम्बर 867 रकबा 0.04 हैक्टर खसरा नम्बर 868 रकबा 3.28 हैक्टर खसरा नम्बर 1056/836 रकबा 2.08 हैक्टर खसरा नम्बर 1058/861 रकबा 2.15 हैक्टर कायम हुए। इस वाद की विषय वस्तु ग्राम आसनपुरा के खसरा नम्बर 873 रकबा 0.88 हैक्टर है। वादी के स्वर्गीय पिता ने गत खसरा नम्बर 224 के अपने हिस्से 15 बीघा मे से 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजो को जरिए पंजीकृत बेचान की जिसका नामान्तरकरण संख्या 322 राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। वादी के स्वर्गीय पिता मोहनराम द्वारा गत खसरा नम्बर 224 जिसके नवीन खसरा नम्बर 821 रकबा 4.60 हैक्टर खसरा नम्बर 822 रकबा 4.32 हैक्टर खसरा नम्बर 823 रकबा 1.69 हैक्टर खसरा नम्बर 866 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 867 रकबा 0.04 हैक्टर खसरा नम्बर 868 रकबा 3.28 हैक्टर खसरा नम्बर 1056/836 रकबा 2.08 हैक्टर खसरा नम्बर 1058/861 रकबा 2.15 हैक्टर में प्रतिवादी को किया गया। बेचान जिसका नामान्तरकण संख्या राजस्व रेकर्ड में अंकित किया गया था जिसका नामान्तरकरण संख्या 322 राजस्व रेकार्ड में अंकन कर दिया गया है। वादीगण एवं वादी के पिता मोहनराम गत खसरा नम्बर 223 व इसके नवीन खसरा नम्बर 836 रकबा 2.97 हैक्टर खसरा नम्बर 861 रकबा 0.46 हैक्टर खसरा नम्बर 859 रकबा 1.39 हैक्टर खसरा नम्बर 860 रकबा 0.13 हैक्टर खसरा नम्बर 873 रकबा 0.88 हैक्टर मे से कोई भी भूमि प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजो को बेचान नही की गई थी, परन्तु राजस्व अधिकारियो ने भूलवश या गलती से खसरा नम्बर 873 जो कि गत खसरा नम्बर 223 का भाग है, की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी। जबकि वादी के पिता एवं वादीगण द्वारा कभी भी खसरा नम्बर 873 एवं गत खसरा नम्बर 223 की किसी भी भूमि का बेचान प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो को नही किया गया था। राजस्व अधिकारियो द्वारा खसरा नम्बर 873 में की गई गलत प्रविष्टि के आधार पर प्रतिवादीगण वादीगण को उनकी हक अधिकार की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। यदि वे उसमें सफल हो गये तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना असम्भव होगा। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम खसरा नम्बर 873 रकबा 0.88 हैक्टर मे से हटवाने के अधिकारी है। वादीगण के पिता मोहनराम द्वारा खसरा नम्बर 224 मे से 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि का बेचान किया गया था। उसका राजस्व रेकार्ड में अंकन प्रतिवादीगण के नाम खसरा नम्बर 224 के नवीन खसरा नम्बर 863, 866, 867, 868 में किया हुआ है। राजस्व अधिकारियो की गलती से खसरा नम्बर 873 जो कि गत खसरा नम्बर 223 का भाग है में प्रतिवादीगण के नाम प्रविष्टि करने से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई अधिकार नही मिलते। बिनाय दावा कुछ दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा राजस्व रेकर्ड की गलत प्रविष्टि के आधार पर खसरा नम्बर 873 की भूमि से वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने पर बमुकाम ग्राम आसनपुरा पैदा हुआ। वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम आसनपुरा के खसरा नम्बर 873 रकबा 0.88 हैक्टर के खातेदार काश्तकार है एवंत माम रेकर्डस ऑफ राइट्स में वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज फरमाया जावें एवंत माम रेकर्ड्स ऑफ राइट्स से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम हटाया जावें।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने जरिये राजीनामा कथन किया है कि ग्राम आसनपुरा के खसरा 873 रकबा 0.88 हैक्टर से उनका नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबन्दी नकल, नामा. संख्या 322 की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षेत्रफल, बेचान दस्तावेज 195/1979 दिनॉक 19.5.1979 की प्रति, इत्यादि प्रस्तुत किये। जो शामिल मिसल उपलब्ध है। नामान्तरकरण संख्या 322 ग्राम आनन्दपुरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण के पूर्वज मोहन पुत्र रूपाराम गुर्जर द्वारा अपने हिस्से की भूमि ग्राम आनन्दपुरा के खसरा नम्बर 224 मे से 2 बीघा 15 बिस्वा का बेचान प्रतिवादी बन्ना पुत्र मोटा लिछमण पुत्र जमना हीरा पुत्र टोडा मोहन पुत्र लादु कुम्हार सा. देह का किया गया है। मिलान क्षेत्रफल ग्राम आनन्दपुरा के गत खसरा नम्बर 224 के नये खसरा नम्बर 833 862 863 866 867 868 821 822 एवं ग्राम आसनपुरा में 1056/836 1058/861 कायम हुये। मिलान क्षेत्रफल ग्राम आसनपुरा के गत खसरा नम्बर 223 के नये नम्बर 859 860 873 836 861 कायम हुये।

वकील वादी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई । बहस दौरान वकील वादी ने कथन किया है कि वाद इस्तदुआ मुताबिक वाद डिक्री किया जावे। चूँकि प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 ने भी वादीगण के पक्ष में राजीनामा लिखित में प्रस्तुत कर नाम हटवाये जाने का कथन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजा इत्यादि का अवलोकन किया गया। बेचान दस्तावेज दिनॉक 19.5.79 अनुसार मोहन पुत्र रूपाराम गुर्जर द्वारा ग्राम आनन्दपुरा के खसरा नम्बर 224 मे से 2 बीघा 15 बिस्वा का बेचान किया गया है जो वर्तमान मे नये खसरा नम्बर 863 866 867 868 कुल रकबा 4.32 हैक्टर में अन्य खातेदार के साथ हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। ग्राम आसनपुरा के गत खसरा नम्बर 223 वर्तमान खसरा नम्बर 873 रकबा 0.88 हैक्टर में राजस्व अधिकारियो की गलती से प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हो गया है। चूँकि वादीगण के पूर्वज मोहन पुत्र रूपाराम गुर्जर द्वारा आसनपुरा के गत खसरा नम्बर 223 में किसी प्रकार का बेचान नही किया गया है। सेटलमेन्ट से पूर्व ग्राम आनन्दपुरा ही था, तत्पश्चात नया ग्राम आसनपुरा सृजन होने से गत खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुम्भलगढ़ सिटी (जयपुर)

223 224 के नये खसरा नम्बर ग्राम आसनपुरा एव आनन्दपुरा में अंकित हुये तथा प्रतिवादी बन्ना पुत्र मोटा लिछमण पुत्र जमना हीरा पुत्र टोडा मोहन पुत्र लादु कुम्हार सा. देह का नाम ग्राम आसनपुरा मे भी दर्ज रह गया था, जिसे हटवाये जाने हेतु प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने जरिये राजीनामा भी यह तथ्य स्वीकार किया है कि उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 873 रकबा 0.88 हैक्टर पर आज दिन उनका किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है उक्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त दर्ज चला आ रहा है, अगर वादीगण के नाम उक्त भूमि दर्ज की जावे तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि वादी का वाद काबिल डिक्री योग्य है। अतः वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम आसनपुरा के खसरा नम्बर 873 रकबा 0.88 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम हटवाया जाता है तथा उपरोक्त खसरा नम्बर 873 रकबा 0.88 हैक्टर में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को लिखा जावे। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 18/04/2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम सुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)